

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग ।

वाद सं०-103/17

धारा-144 दं०प्र०सं०

रबीना खातुन -बनाम- मुस्लिम मियां वगै०

-:आदेश:-

अभियुक्ति

प्रथम पक्ष के आवेदन पर दिनांक 25.07.2017 को द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा की मांग की गयी तथा थाना प्रभारी, बरही से भी जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:-
मौजा-मलकोको, थाना- बरही, जिला-हजारीबाग।

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहदी
22	1169	0.53 ए० मधे 0.13 ए०	उ०-घनश्याम राणा द०-नीज पू०-रजबली मियां प०-कुन्जी मियां

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष को रजिस्ट्री केवाला एवं खतियान से हांसिल है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है एवं अपने हिस्से के अलावा अन्य हिस्सेदारों से भी रजिस्ट्री केवाला सं०-9196-9050, दिनांक 13.06.2003 से प्राप्त कर शांतिपूर्वक दखल कब्जे में चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष दिनांक 10.03.2017 को प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे रोकने पर लडाई-झगडा पर उतारू हो गये। दोनो पक्षों के बीच दिनांक 17.03.2017 को सुलह हुआ, परन्तु पुनः द्वितीय पक्ष जमीन हडपने के नियत से प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य करना चाह रहे हैं एवं प्रथम पक्ष के साथ कभी भी खून-खराबा कर सकते हैं।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया है:-

1. प्रश्नगत भूमि से संबंधित निबंधित केवाला सं०-9050, दिनांक 13.06.2003 की छायाप्रति।
2. प्रश्नगत भूमि से संबंधित वर्ष-2009-10 का सरकारी मालगुजारी रसीद की छायाप्रति।
3. प्रश्नगत भूमि से संबंधित दिनांक 17.03.2017 के सुलहनामा की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि आवेदिका द्वारा जिस खाता वो प्लॉट, रकबा का दावा आवेदिका के द्वारा किया जा रहा है, उसमें इनका एक इंच भी जमीन नहीं बचा है। इनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत प्लॉट का रकबा-0.53 ए० में से 0.125 डी० हिस्सा वंशावली के अनुसार रफीक मियां का हिस्सा होता है और रबीना खातुन ने 0.125 डी० जमीन खरीदी है। इस तरह पति का हिस्सा मिलाने के बाद रबीना खातुन का रकबा-2.5 डी० बनता है। इनका यह भी कहना है कि मो० रफीक मियां गौर एवं रबीना खातुन दोनो पति-पत्नी मिलकर मुनौसा खातुन पति-सखावत को उक्त भूमि निबंधित केवाला सं०-1930, दिनांक 06.02.2006 से विक्री कर चुकी है। प्रथम पक्ष का जब कुल रकबा-2.5 डी० ही है और इन्होंने अपनी पुरी भूमि बेच दी है, तो अब 0.13 ए० भूमि पर केश कर द्वितीय पक्ष का भूमि हडपना चाहती है। द्वितीय पक्ष विवादी जमीन से अलग खाता सं०-38,



प्लॉट सं०-1181, रकबा-0.39 ए० भूमि पर इंदिरा आवास का निर्माण कर रहे हैं।
प्रथम पक्ष जबरजस्ती द्वितीय पक्ष की भूमि हड़पना चाहते हैं।

द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया है:-


1. प्रश्नगत भूमि से संबंधित निबंधित केवाला सं०-1930, दिनांक 06.02.2006 की छायाप्रति।
2. प्रश्नगत भूमि से संबंधित अंचल अमीन का दिनांक 18.05.2017 के प्रतिवेदन की छायाप्रति।


प्रथम पक्ष के आवेदन एवं द्वितीय पक्ष के कारणपृच्छा, उभय पक्षों के दाखिल कागजात एवं अधिवक्ताओं के दलील से स्पष्ट है कि उभय पक्षों की भूमि अलग-अलग है एवं अमीन के रिपोर्ट के अनुसार द्वितीय पक्ष अपने केवाला से प्राप्त भूमि पर इंदिरा आवास का निर्माण कर रहे हैं और प्रथम पक्ष का यह कहना की इंदिरा आवास का निर्माण प्लॉट सं०-1159 पर किया जा रहा है, गलत है।

उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष, अपने-अपने स्वत्व के आधार पर अपनी भूमि का सीमांकन करने हेतु अंचल अधिकारी, बरही के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

इस आदेश के आलोक में कोई भी पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व (title) का दावा नहीं करेगा।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।